(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2316–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 211/अपील/2007–08.

.....

गोविन्द आ. शुगरलाल यादव
निवासी ग्राम टिमरावन तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मोहनसिंह आ0 मुरली बरउआ
निवासी ग्राम टिमरावन तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन म0प्र0
2–म.प्र.शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री मनोज रघुवंशी, अभिभाषक– आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/5/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–05–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार देवरी जिला रायसेन द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 10 दिनांक 30–4–2006 पर दिनांक 12–6–2006 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 442 रकबा 9.34 एकड़ में से सर्वे कमांक 442/2 रकबा 4.67 एकड़ भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–12–2007 को आदेश पारित कर

तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 को पटटे पर प्राप्त भूमि के संबंध में जॉच कर विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–5–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जिस समय प्रश्नाधीन भूमि कय की गई थी उस समय अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी था अतः विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि 10 वर्ष पश्चात् पटटागृहीता प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी हो जाता है और उसे भूमि को विकय करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये उन्हें पटटे से संबंधित बिन्दु की जॉच कर विधिसम्मत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील

न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही जॉच में अपने पक्ष रख सकते हैं । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–05–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर